प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

निविदा प्रपत्र का मूल्य 590.00 (मय जीएसटी)

फार्म संख्या— वाहन निविदा वर्ष 2025—26

## तकनीकी विड

### चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत जूप पटवा चम्पावत।

### उपार्जन / आकस्मिक पशु चिकित्सा / पी0एण्डआई0 निरीक्षण वाहन / प्रशासनीक वाहन।

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. उपार्जन............................................................................................................
2. मार्ग का नाम ............................................................................................................
3. निविदा दाता का नाम............................................................................................
4. मोबाईल नम्बर.....................................................................................................
5. स्थाई पता...........................................................................................................
6. पत्र व्यवहार का पता..............................................................................................
7. आधार नम्बर.................................................(आधारकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
8. पैनकार्ड न0..................................................(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें))

9.जमा अर्नेस्टमनी का विवरणः—

(अ)नगद रसीद संख्या..............................(ब)दिनांक.........................(स) धनराशि (रू0)..............................

(द)बैंक का नाम.......................................... डाफ्ट संख्या......................................................................

10.वाहन का विवरणः—

(क)वाहन का प्रकार.........................................................(ख) मॉडल वर्ष...........................................

(ग)वाहन का पंजीकरण न0......................................(घ) बीमे (संलग्न) की वैधता तिथि..........................

(ङ) रोड टैक्स जमा की वैधता तिथि ...............................(च) परमिट (संलग्न) की वैधता तिथि.............

(छ) फिटनेस (संलग्न) की वैधता तिथि.........................................................................................

(ज) गाड़ी की भार क्षमता (कुन्तल में).............................................................................................

(निविदा प्रपत्र का मू0 रू 590.00 मय जी0एस0टी0 सहित है। यदि निविदा प्रपत्र वैबसाईट से डाउनलोड किया गया है, तो निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 590.00 का बैंक ड्रॉफ्ट चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।)

बैंक का नाम...................................... बैंक ड्रॉफ्ट संख्या..............................धनराशि...................

दिनॉक..........................................

मैंनें दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत द्वारा निविदा हेतु तय की गयी सभी शर्तों को भलि—भॉति पढ़ व समझ लिया है। मैं दुग्ध संघ चम्पावत के साथ उक्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए तैयार हूँ। उर्पयुक्त पृविष्टियॉ मेरे द्वारा स्वयं भरी / भरवायी है जोकि मेरी जानकारी से पूर्णरूपेण सही है। यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो संस्था को पूर्णरूपेण अधिकार है किवह इस संबन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दे।

शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाये।

दिनांक—
स्थान—
मोबाइल नम्बर—
पूरा पता—

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

नाम—
हस्ताक्षर निविदादाता—

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

वाहन निविदा वर्ष 2025–26

फार्म संख्या– वित्तीय विड

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत जूप पटवा चम्पावत।

**उपार्जन/आकस्मिक पशु चिकित्सा/पी0एण्डआई0 निरीक्षण वाहन/प्रशासनीक वाहन**

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. उपार्जन/विपणन.............................................................................................................
2. मार्ग का नाम .............................................................................................................
3. निविदा दाता का नाम.....................................................................................................

4–निविदा उपार्जन/विपणन दर रूपया–.....................................................................
(शब्दों में............................................................................)
दर प्रति किमी0/प्रति लीटर में (अंकित की जाय)

5–पशुचिकित्सक एवं कार्यालय कार्य हेतु वाहन दर रू0–...................................
दिहाड़ी प्रतिदिन।
(शब्दों में............................................................................)

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम..................................................
पूरा पता..................................................
..........................................................
.....................

नोट– उर्पाजन कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति किमी0 अंकित करें, उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
<u>जो लागू न हो उसे काट दें, अपरलेखन न करें।</u>

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

# कार्यालय ,चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत

**उपार्जन/आकस्मिक पशु चिकित्सा/पी0एण्डआई0 निरीक्षण वाहन/प्रशासनीक वाहन कार्यों हेतु निविदा फार्म भरने हेतु दिशानिर्देश एवं शर्ते**

1. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशानिर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरें।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
3. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाये। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हताएं पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। किसी भी मार्ग के लिए तीन वैद्य निविदाएं होने पर ही निविदा मान्य होगी।
4. प्राप्त निविदा में 02 अथवा 02 से अधिक निविदायें समान दर की प्राप्त होने पर नवीनतम मार्डल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. एक वाहन के प्रपत्र से एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत होगी। यदि दो मार्ग मे एक ही वाहन की निविदा न्यून पायी जायी जाती है तो दोनो मार्गो मे न्यून दर मार्ग को स्वीकृत किया जायेगा तथा द्वितीय मार्ग की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **परिवहन हेतु निविदा मार्ग/प्रकार का नाम एवं निविदादाता का नाम** व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
7. निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
8. निविदायें **प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत जूप पटवा चम्पावत**, के नाम से निविदा पेटी में दिनॉक 16 दिसम्बर, 2025 को निविदायें अपराह्न 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी, जो कि उपरोक्तानुसार अपराह्न 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय चम्पावत में खोली जायेंगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त संबन्धित समस्त मार्गों की निविदायें उक्त दिवस को 11:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय चम्पावत के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा फार्म के साथ मार्गवार अनुमानित दूरी वाहन का प्रकार एवं अधिकतम दरों का उल्लेखित पत्र संलग्न है, अंकित अधिकतम दरों से अधिक निविदा फार्म में दरें पाये जाने पर निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. उपार्जन एवं विपणन हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2015 से कम नहीं होना चाहिए एवं पशु चिकित्सा कार्य तथा कार्यालय कार्यों हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2020 से कम नहीं होना चाहिए, तथा वाहन अच्छी दशा में होना अनिवार्य है।
11. निविदा फार्म के साथ निविदादाता का आधार, पैन कार्ड, वाहन की आर0सी0, बीमा, परमिट एवं फिटनेस व टैक्स आदि के वैद्य प्रपत्र, संलग्न होने चाहिये अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगा।
12. वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिये।
13. निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैध दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां एवं वाहन हेतु **रू0 2,000.00 (दो हजार रूपया)**

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

बतौर अर्नेस्ट मनी की जमा रसीद की छाया प्रति अथवा मूल बैंक ड्राफ्ट, जो इस संस्था के नाम देय हो मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी।

14. यदि वाहन का माडल वर्ष में **(A/F)** अंकित किया जाता है, तो ऐसी निविदादाता को वाहन क्रय रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।

15. एक अर्नेस्ट मनी से एक निविदा ही भरी जायेगी। एक अर्नस्ट मनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

16. दुग्ध संघ से पूर्व मे किसी प्रकार से विवाद करने वाले, अथवा दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले, चोरी मे पकडे गये अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कर्मी से मारपीट/गाली गलौच अथवा अन्य किसी प्रकार के विवादित अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदा दाता का निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

17. वर्तमान या पूर्व में कार्यरत परिवहनकर्ताओं को संस्था के वित्त/उपार्जन/विपणन अनुभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता पर संस्था की किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि होने अथवा विवादित होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा अपने अनुभागाध्यक्ष एवं प्रभारी यातायात से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

19. उपार्जन परिवहनकर्ताओं को समितियों के मांग के अनुसार पशुचारा (पशुआहार/ /हराचारा बीज) एवं स्टेशनरी/एमटीई आदि का ढुलान दुग्ध समिति तक करना अनिवार्य होगा, जिसकी अधिकतम दर दुग्ध समिति तक 60.00 रू0 प्रतिकुंतल मय लोडिंग/अनलोडिंग होगी। एवं भूसा 30 रू0 प्रतिबैग व साईलेज 1.25 प्रतिकिलो देय होगा (दुग्ध समिति तक का तात्पर्य जहाँ तक आरटीओ द्वारा रोड पास हो उस दुग्ध समिति के उक्त स्थान तक) पशुचारा ढुलान उपरान्त परिवहनकर्ता द्वारा संस्था को बिल प्रस्तुत करना होगा, किसी भी दशा में परिवहनकर्ता दुग्ध समिति से ढुलान व्यय नहीं लेंगे। परिहनकर्ता द्वारा पशुचारा अथवा अन्य सामग्री का ढुलान न करने पर संस्था द्वारा अन्य वाहन से पशुचारा एवं अन्य सामग्री भेजी जा सकती हो, जिसमें व्यय भार की कटौती परिवहनकर्ता से की जायेगी।

20. उपार्जन/विपणन वाहनों में आवश्यकता अनुसार संस्था का कोई भी स्टाफ बैठ सकता है जिसे परिवहनकर्ता को बैठाना होगा। वाहन में स्टाफ के अतिरिक्त कोई भी सवारी नहीं बैठानी होगी।

21. संस्था द्वारा दुग्ध समितियों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है तदअनुसार ही मार्ग की दूरी घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है जिसे निविदादाता को मानना होगा। मार्ग की निविदा में दर्शाई गई दूरी अनुमानित है निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता के वाहन अथवा संस्था के वाहन से परिवहनकर्ता के साथ संयुक्त रूप कमेटी द्वारा मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा तदअनुसार ही परिवहनकर्ता को भुगतान देय होगा।

22. वाहन में दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी किसान/प्राईवेट व्यवसाय का दूध ढुलान नहीं किया जायेगा। यदि दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का दूध वाहन में पाया जाता है तो उक्त प्रकरण को चोरी से संबन्धित मानते हुए चोरी के दंण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

23. चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने पर प्रथम द्रष्टया 5000.00 रूपये की कटौति की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिये सम्बन्धित को संस्था की काली सूची मे दर्ज कर दिया जायेगा।
24. उपार्जन एवं विपणन निविदादाता को संस्था द्वारा दिये गये समयानुसार दुग्ध उर्पाजन एवं विपणन करना अनिवार्य होगा। उपार्जन वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समयानुसार समितियों का दुग्ध, दुग्घशाला नहीं पहुंचाया जाता है तो दूध खट्टे/फटे की कटौती परिवहनकर्ता से की जायेगी, यदि कोई वाहन निरन्तर विलम्ब होता है तो जमानत राशि जब्त करते हुए निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
25. परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध ढुलान पूर्ण स्वच्छता के साथ करना होगा। वाहन में किसी भी प्रकार की गंदगी पाये जाने अथवा दूध के साथ अन्य अस्वच्छ सामग्री पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
26. परिवहनकर्ता ऑचल दूध के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ ढुलान नहीं करेगा।
27. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने पर किसी भी दशा में उस के प्रतिनिधि को हस्तान्तरित नही की जा सकेगी।
28. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
29. प्रत्येक वाहन के लिये चालक की व्यवस्था निविदाता को करनी होगी तथा पूर्ण उसका विवरण संस्था में लिखित देना होगा। चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देनी होगी।
30. निविदा फार्म में दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, फलूड, आदि नही होनी चाहिये। ओवर राइटिंग, कटिंग तथा फलूड लगा कर भरी गयी निविदा दरें पाये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
31. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी तथा जमानत राशि के रूप में आकस्मिक पशुचिकित्सा व पी0एण्डआई0 हेतु 20000.00 (बीस हजार) रूपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
32. निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू0 100.00 (एक सौ) मूल्य के नान–जूडिशियल स्टांप पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
33. अनुबन्ध समाप्त तिथि से यदि संस्था चाहे तो अधिकतम तीन–तीन माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदा दाता मानने के लिये बाध्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
34. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा कराना होगा, इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
35. मार्गों पर लगने वाले समस्त करों जैसे पथ कर, सेतु कर, टौलटेक्स आदि का भुगतान परिवहन कर्ता द्वारा किया जायेगा, यदि निविदा उपरान्त किसी प्रकार का मार्ग मे कर लगता है तो वह संस्था द्वारा देय होगा।

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

36. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन निरीक्षण कराने की सूचना दी जायेगी। निविदादाता को निर्धारित तिथि के अन्दर वाहन का निरीक्षण करने हेतु वाहन को दुग्ध संघ कार्यालय में लाना होगा अन्यथा निविदा निरस्त करते हुये अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी। निविदा में दिये गये वाहन को ही चलाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि दूसरा वाहन भेजना आवश्यक हो तो परिवहनकर्ता को इसकी सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।
37. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्रिक सदस्य (हिस्सा पूंजी 200.00 रू0 तथा प्रवेश शुल्क 25.00 रू0 कुल 225.00 रू0 जमाकर) बनना होगा।
38. निविदादाता को परिवहन बिल के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
39. संस्था के बकायेदारों की निविदा स्वीकार नही की जायेगी और ना ही उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।
40. वाहन से आवश्यकतानुसार संस्थाहित में विपणन वाहनों से उपार्जन कार्य एवं उपार्जन वाहनों से विपणन से संबन्धित कार्य भी लिया जा सकता है।
41. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा, उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नही करने होगें।
42. दैवीय आपदा/दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नही होगा।
43. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्थ होने/अन्य किसी कारण से व्ययधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा वाहन व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
44. संस्था द्वारा मार्गो की अधिकतम दर निर्धारित करते हुए निविदाफार्म के साथ संलग्न की जा रही है। संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पाये जाने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
45. माह की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता को अधिकतम तीस दिन के अन्दर बिल संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
46. अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कई माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिये परिवहनकर्ता का उत्तदायित्व होगा।
47. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता द्वारा अपने वाहन पर संस्था द्वारा तय मोनोग्राम एवं विज्ञापन को निर्धारित रंगों व स्थान पर परिवहनकर्ता के अपने स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।
48. मार्ग पर दुग्ध समितियों से दूध की कैन उठाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
49. टनकपुर–बनबसा मार्ग का दुग्ध कतिपय दिनो पर खटीमा दुग्धशाला भी ले जाया जा सकता है जिसका ढुलान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, साथ ही रीठा/भिंगराड़ा ग्रोथ सेंटर स्थापित होने के पश्चात खेतीखान–रीठा मार्ग का दूध निविदादाता द्वारा रीठा/भिंगराड़ा ग्रोथ सेंटर तक परिवहन किया जायेगा।
50. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत को परिवहनकर्ता से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।

51. उपार्जन के पर्यवेक्षणीय वाहन व पशुचिकित्सा एवं कार्यालय कार्य में लगे अल्टो/समकक्ष वाहन को 14 रू0 प्रतिकिलोमीटर पर एक लीटर पेट्रोल देय होगा।
52. निविदाओं का निस्तारण **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017** के अधीन होगी।
53. निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्शियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।
54. यह अनुबन्ध 1 वर्ष के लिये मान्य होगा।

**नोट– उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 54 तक की शर्तें पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।**

## निविदादाता की घोषणा

**उक्त शर्तों को मैंने भली–भांति पढ़ एवं समझ लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ , जो कि मुझे स्वीकार है।**

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

हस्ताक्षर
निविदादाता

## मार्ग का नाम व अनुमानित दूरी, अधिकतम दर एवं वाहन के प्रकार का विवरण जिन मार्गों के लिये निविदा प्रकाशित है, वित्तीय वर्ष (2025–26) उपार्जन/आकस्मिक पशुचिकित्सा कार्य/निरीक्षण वाहन

| क्र0स0 | मार्ग का नाम | कि0मी0 /दूरी अनुमानित | वाहन का प्रकार | वर्तमान दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वाला–चम्पावत मार्ग | 74 | पिकअप/समकक्ष | 17.74 | **17.50** |
| 2 | मंगतोला–चम्पावत मार्ग | 60 | पिकअप/समकक्ष | 17.70 | **17.50** |
| 3 | कोटा–रमक मार्ग | 28 | पिकअप/समकक्ष | 14.00 | 14.00 |
| 4 | सिगंदा, बापरू, चौमेल–किमतोली मार्ग | 74 | पिकअप/समकक्ष | 17.65 | **17.50** |
| 5 | पी0एण्डआई0 निरीक्षण वाहन –जनपद चम्पावत | जनपद चम्पावत | अल्टो/समकक्ष | प्रतिदिन 750.00 रू0 व 14 कि0मी पर 1 ली0 पेट्रोल देय। | प्रतिदिन 780.00 रू0 व 14 कि0मी पर 1 ली0 पेट्रोल/डीजल देय। |
| 6 | प्रशासनीक वाहन | नोट–चम्पावत मुख्य दुग्धशाला से गणना प्रारम्भ होगी। | बोलोरा/समकक्ष | – | प्रतिदिन 880.00 रू0 व 10 कि0मी पर 1 ली0 डीजल/पेट्रोल देय। |
| 7 | आकस्मिक पशु चिकित्सा वाहन–लोहाघाट क्षेत्र | नोटः जब लोहाघाट से वाहन चलेगा–किलोमीटर की गणना (प्रारम्भ एवं अन्त)मिल्क पार्लर लोहाघाट बस स्टेशन से होगा। | अल्टो/समकक्ष | – | प्रतिदिन 780.00 रू0 व 14 कि0मी पर 1 ली0 पेट्रोल/डीजल देय। |

अतः संस्था द्वारा उपरोक्त (अधिकतक दर) से अधिक दर मान नहीं होगी।

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत